MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI

NIT

कार्य का नाम – जोन क्र. –04 अंतर्गत जोन क्र. –01 के बी.एस.पी. क्वॉटर के पीछे बैकलाइन सफाई कार्य।

S.N.	PARTICULERS OF ITEMS	No	L	B	H/D	Quantity
1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.					
	In all types of soils.	1	6500	2.20	0.45	6435.0
2	Pumping out water caused by springs tidal or river seepage, broken water main or drains and like during Excavation or during Excavation and laying of base concrete (volume to be calculated taking height from water level to bottom of pit and to be measured and paid) .	1				643.50
3	Carriage by mechanical transport upto 5 km lead:					
.	Sludge					6435.00
3	Clearing jungle including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood, trees and saplings of girth upto 30 cm measured at a height of 1 m above ground level and removal of rubbish upto a distance of 50 m outside the periphery of the area cleared	1	1	2000	2.20	4400
4	Demolishing brick masonry including arches, stacking of serviceable material disposal of unserviceable material within 50 metres lead.					
	In cement mortar.					350

Asst. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai

Sub Engineer
Municipal Corporation
Bhilai

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
नियम शर्तेः—

नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रं. 02, 03 एवं 04 में बी.एस.पी. क्वाटर के बेक लेन की सम्पूर्ण सफाई हेतु इच्छुक एन.जी.ओ./फर्म/एवं पंजीकृत ठेकेदार का पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि, एजेंसी द्वारा पूर्व में इस प्रकार के कार्य संपादित किया गया हो तो कार्य का अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाना होगा।

2. निविदाकार को 100.00 रुपये के स्टाम्प पेपर में ठेकेदार/फर्म का नाम किसी शासकीय/अशासकीय संस्था में काली सूची में दर्ज नहीं है, का शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।
3. सभी प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित होना चाहिए एवं आवश्यक होने पर मूल प्रति अवलोकन कराना होगा।
4. निविदाकार को दर प्रस्तुत करने के पूर्व निर्धारित स्थल का निरीक्षण करना होगा जिससे कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
5. निविदाकार का ऑफर स्वीकृत होने पर संबंधित कार्य एजेंसी को कार्यालय में उपस्थित होकर 15 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित करना होगा एवं आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।
6. ऑफर समस्त करों को सम्मिलित कर प्रस्तुत किया जाये जिससे मशीनों एवं अन्य उपकरणों में प्रभावशील जी.एस.टी., परिवहन सहित एवं अन्य व्यय शामिल हो।
7. कार्य की शर्तेः—
    1. प्रतिदिन किये गये कार्य का कार्य योजना अनुसार प्रमाणीकरण क्षेत्र के प्र. जोन स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक से कराना अनिवार्य होगा।
    2. उपलब्ध कराये गये कामगारो को सफाई से संबंधित सभी सामग्री एवं सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
    3. निविदाकार को 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम के कामगार ही उपलब्ध कराने होंगे।
    4. निविदाकार प्रतिदिन उपलब्ध कराये गये कामगारों से कराये गये कार्य का विवरण पंजी में दर्ज कर प्रतिदिन क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षक/स्वच्छता पर्यवेक्षक को अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होगी।
    5. कार्य के दौरान होने वाली किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिये निविदाकार जिम्मेदार होगा।
    6. बेक लेन की सफाई के दौरान होने वाले सम्पूर्ण टूटफूट जैसे—नाली, सिवरेज चेम्बर, ढक्कन, जल पाईप लाईन एवं सिवरेज पाईप लाईन का संधारण कराने की जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की ही होगी।
    7. निविदाकार को श्रम कानून की पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा।
8. वार्ड क्षेत्रान्तर्गत समस्त बेक लेन की सफाई कार्य से संबंधित है। बेक लेन की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरा, मलमा उठाने/समेटने का कार्य तथा बताये गये निर्धारित स्थल में निविदाकार को स्वयं के वाहन से पहुँचाना होगा एवं समतलीकरण इस प्रकार किया जाना आवश्यक होगा जिससे सीवरलाईन एवं चेम्बर/मेनहोल के लेबल या स्थल अनुसार इनके टॉप के नीचे तक किया जावे एवं प्र. जोन स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार करना होगा। अतः इस कार्य के लिए कामगारों को सुरक्षा उपकरण निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

क्रमश

:.....

9. कार्य के दौरान किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त होने पर संपूर्ण जवाबदारी एजेंसी की होगी। क्षतिग्रस्त स्ट्रक्चर का संधारण कर यथास्थिति में लाने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। निविदाकार को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदाकार की निविदा निरस्त कर अमानात राशि राजसात की जावेगी एवं उक्त कार्य अन्य निविदाकार से कार्य कराया जावेगा।

10. निविदाकार को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदाकार की निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं उक्त कार्य अन्य निविदाकार से कार्य कराया जावेगा।

11. अन्य शर्तें:—
   1. सफाई कार्य अत्यावष्यक कार्य है, अतः किसी भी स्थिति में सफाई कार्य बंद नहीं किया जावेगा।
   2. कार्यबंद/प्रभावित/विलंब होने की स्थिति में ठेकेदार के देयक से प्रतिदिन राशि रु. 2,000.00 की अर्थदण्ड की कटौती दण्ड के रूप में की जावेगी।
   3. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
   4. निविदादाता द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण क्षेत्र के प्र. जोन स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जावेगा। जिनसे कामगारों की उपस्थिति प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
   5. निविदा के किसी भी भाग या अंश को स्वीकार/अस्वीकार करने या सम्पूर्ण निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को होगा, जिसका निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
   6. इस कार्य से सबंधित कार्य योजना एवं सफाई से संबंधित कार्यानुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   7. एजेंसी द्वारा किए गए कार्य का भुगतान जोन के प्र. जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षक के सत्यापन अनुसार सम्पूर्ण कार्य का अनुपातिक सफलतापूर्वक निष्पादन के प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई